तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हो
29/07/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप. 1 व प्रति प्ति. सं. 1 के वकील श्री मोहित जैमन का बयान एस.एच.ओ. के बारे में। श्री मोहित जैमन का बयान किया कि वादी प्रकरण है। वकील प्रति. सं. 1 ने कथन किया कि वादी द्वारा में अनावश्यक विलम्ब करना चाहता है। वादी द्वारा रजिस्टर्ड डाक से सुबाने पेश नहीं किये गये हैं। अतः वादी का डाक्यूमेन्ट वापस लौटाकर फरमाया जावे। पत्रावली का डाक्यूमेन्ट वापस लौटाकर फरमाया जावे। पत्रावली में लम्बे समय से दिया गया। वादी द्वारा प्रकरण में लम्बे समय से Req. AD सुबाना पेश नहीं किया जा रहा है। वकील वादी ने आज भी सुबाना पेश करने हेतु समय चाहा गया। न्यायालय के मत में Req. AD सुबाना पेश करने के लिए वादी को अनेक अवसर दिये जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में आगे कोई और अवसर दिया जाना उचित सटीक नहीं होता है। अतः प्रकरण सुबाने के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली कोर्ट शुमार होकर नम्बर की जाय हो। उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज०)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:48:00 IST
Reason: SelfAttested